

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सम्बंध में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं वीणा गुप्ता

ग्राम कोडरमा पो. कोडरमा थाना कोडरमा

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. नौजा कोडरमा

2. थाना कोडरमा

3. थाना न० 333

4. खाता न० 24

5. प्लॉट न० 4000, 4001

6. रकबा 0.55, 6.45

7. भूमि का किस्म उद्योगी

8. अद्यतन रसिद न०

9. दा० खारिज वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अगारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

वीणा गुप्ता

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं०...392/2022

आवेदिका वीणा गुप्ता पिता रामचन्द्र गुप्ता वो पति प्रमोद कुमार गुप्ता, साकिन-कोडरमा, पोस्ट-कोडरमा थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
कोडरमा	333	24	4000 4001	0.55 डी० 6.45 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक ...30.../...12.../2022 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा


30.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333, खाता सं०-24, प्लॉट सं०-4000, रकवा-0.55 डी० एवं प्लॉट सं०-4001, रकवा-6.45 डी० भूमि वीणा गुप्ता पिता रामचन्द्र गुप्ता के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-191 भाग सं०-22 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-1003 (4)/1996-97 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-25 दिनांक-06.12.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333, खाता सं०-24, प्लॉट सं०-4000, रकवा-0.55 डी० एवं प्लॉट सं०-4001, रकवा-6.45 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा